रजिस्ट्री सं. डी.—(डी एन)—73 REGISTERED NO. D—(DN)—73

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 15, 1984 (अग्रहायण 24, 1906)
No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 15, 1984 (AGRAHAYANA 24, 1906)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	859
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1523
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1949
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के विवरण तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	30005
भाग III—खंड 2—पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	1005
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्त के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	229
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	3001
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	187
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं है।

CONTENTS

	PAGES
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	859
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	1523
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	---
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1949
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) on General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .. .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	30005
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta .. .	1005
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .	229
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ..	3001
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	187
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc, both in English and Hindi	*

* Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 दिसम्बर 1984

सं० 118-प्रेज/84—राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री मदन सिंह,
कांस्टेबल सं० 150/न० दि० ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह,
कांस्टेबल सं० 842/न० दि० ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

2 जनवरी, 1984 को दोपहर लगभग 12.40 बजे वैश्य बैंक, ई-34, कनाट प्लेस, नई दिल्ली के दो कर्मचारी एक-एक ब्रीफ केस लेकर, जिनमें चैक और अन्य बैंक दस्तावेज थे, रिजर्व बैंक आफ इंडिया से लौट रहे थे । तीन युवकों ने उन्हें पार्लियामेंट स्ट्रीट पर बाइबल हाउस के नजदीक रोक लिया और दोनों ब्रीफ केस छीन लिये । एक कर्मचारी ने उनका पीछा करने की कोशिश की लेकिन बदमाशों ने उस पर गोली चला दी जिससे उसकी जांघ में चोट आई । तीनों बदमाश एक टैक्सी-स्कूटर पर चढ़ गये और टालस्टाय मार्ग की ओर गये । बारह खम्बा चौराहे पर उन्हें लाल संकेत के कारण रुकना पड़ा । उनका पीछा कर रहे एक व्यक्ति ने वहां उपस्थित पुलिस पिकट को सूचना दी । जब पुलिस ने टैक्सी स्कूटर से पूछताछ की, तो बदमाश बाहर कूद गये और उनमें से एक ने गोली चला दी जिसके परिणामस्वरूप रामजीलाल नामक कांस्टेबल को उसके कान के पास गोली से चोट आई । अन्य दो बदमाश जनता को भयभीत करने के लिए हवा में गोली चलाते हुए मार्डन स्कूल की ओर भागे । इस बीच कांस्टेबल सुरेन्द्र पाल सिंह, मदन सिंह और बच्ची सिंह जो इस क्षेत्र में गश्ती ड्यूटी पर थे, वहां पहुंच गये और बदमाशों का पीछा किया । कुछ दूरी के बाद बदमाश ने अपने थैले से एक हथगोला निकाला और कांस्टेबल को धमकी दी और पीछा न करने की चेतावनी दी । उन्होंने कहा यदि वे नहीं रुकेंगे तो उन पर हथगोला फैंक दिया जाएगा और उन्हें मार दिया जाएगा । धमकियों और परिणामों की परवाह न करते हुए कांस्टेबल मदन सिंह ने शीघ्रता से बदमाश पर प्रहार किया और उसको दो बार लाठी से मारा । अन्य कांस्टेबल सुरेन्द्र पाल सिंह ने साहस पूर्वक बदमाशों से हथगोला छीना और उसको काबू में कर लिया । बाद में बदमाश ने अपना परिचय देते हुए बताया कि वह हरियाणा का सुखदेव सिंह था जिसने करोल बाग, दिल्ली में माया जौहरी की दुकान में डकैती डालने समेत अनेक अपराध किये थे ।

श्री मदन सिंह, कांस्टेबल, और श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, कांस्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 जनवरी, 1984, से दिया जाएगा ।

सं० 119-प्रेज/84—राष्ट्रपति, नागालैंड पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री एच० एलेट कुकी,
पुलिस सहायक उप-निरीक्षक,
प्रभारी दिल्ली जांच-चौकी,
डी० ई० एफ०, कोहिमा ।

श्री नगुनी चकेसंग,
यू० बी० कांस्टेबल,
डी० ई० एफ०, कोहिमा ।

श्री केनी-ईलोऊ अंगामी,
कांस्टेबल सं० 2221,
प्रथम बटालियन,
नागालैंड सशस्त्र पुलिस ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

22/23 जुलाई, 1980, की मध्य रात्रि को एक अम्बेसेडर कार दिल्ली जांच चौकी पर रुकी । कार पर रजिस्ट्रेशन प्लेट की जगह "आन टेस्ट" प्लेट लगी हुई थी । कांस्टेबल नगुनी चकेसंग ने, जो ड्यूटी पर थे, कार के यात्रियों की जांच की और उनसे कार के रजिस्ट्रेशन कागजात और उनके लाइसेंस प्रस्तुत करने के लिए कहा । उसने यह भी पूछा कि जो गाड़ी "आन टेस्ट" पर थी, उसे मध्य रात्रि को सड़क पर क्यों चलायी जा रही थी । प्रत्येक यात्री ने विरोधी बयान दिए, जिससे उसे संदेह हो गया और उसने तुरन्त प्रभारी अधिकारी, सहायक उप-निरीक्षक एच० एलेट कुकी को मामले के बारे में सूचित किया । श्री कुकी तुरन्त घटनास्थल पर आए और श्री चकेसंग को लोगों की तलाशी लेने का आदेश दिया । तलाशी लेने पर यात्रियों में से एक यात्री के कब्जे से एक पिस्तौल बरामद हुई । श्री चकेसंग ने पिस्तौल छीनने की कोशिश की लेकिन अपराधी ने उस पर गोली चलायी जिसके परिणामस्वरूप वह नीचे गिर गया । अपराधी ने पुलिस कार्मिकों को डराने के लिए उन पर तीन और गोलियां चलायी और तब सभी 6 अपराधी कार छोड़कर भाग गए । उनमें से तीन असम (विधू की तरफ) की तरफ भागे और अन्य तीन दीमापुर शहर की तरफ भागे । श्री कुकी ने तुरन्त श्री नगुनी चकेसंग को वहां से दीमापुर सिविल अस्पताल ले जाने का प्रबन्ध किया और दीमापुर थाने के ओ० सी० को मामला सूचित किया । दीमापुर शहर की सभी जांच चौकियों को सावधान कर दिया गया ताकि अपराधियों को भागने से रोका जा सके । नागालैंड सशस्त्र पुलिस की प्रथम बटालियन के कमांडेंट से जांच चौकियों को कुमुक भेजने का अनुरोध किया गया । श्री कुकी ने नागालैंड सशस्त्र पुलिस की प्रथम बटालियन द्वारा सैनात कार्मिकों से बात लगायी । 23 जुलाई, 1980, को लगभग 5.00 बजे, एक मणिपुरी ट्रक, जिसमें तीन अपराधी थे, चुमुकेडिमा जांच चौकी पर पकड़ा गया । श्री कुकी ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें नीचे उतरने का आदेश दिया । उस पर अपराधी ट्रक से कूद गए और पुलिस दल पर गोलियां चलाने लगे और भागने की कोशिश करने लगे । श्री कुकी और एन० ए० पी० के बाद लगाने वाले दल ने उनका पीछा किया । कड़ी दौड़ भाग के बाद श्री कुकी ने श्री केनी ईलोऊ अंगामी, कांस्टेबल, नागालैंड सशस्त्र पुलिस,

को अपराधियों पर गोली चलाने का आदेश दिया जिसके फलस्वरूप एक अपराधी गोली से मारा गया और दूसरे को जीवित पकड़ लिया गया और तीसरे ने जो गोली लगने से जख्मी हो गया था बाद में जख्मों के कारण दीमापुर सिविल अस्पताल में दम तोड़ दिया। बाद में पहचान करने पर सभी तीनों अपराधी मणिपुर के उग्रवादी प्रेपक संगठन के सदस्य निकले।

इस मुठभेड़ में, श्री एच० एलेट कुकी, सहायक उप-निरीक्षक, श्री नगुनी चकेसंग, कांस्टेबल और श्री केनीईलोऊ अंगामी, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 23 जुलाई, 1980 से दिया जाएगा।

सं० 120-प्रेज/84—राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री मलहारी के० नेवकर, (मरणोपरान्त)
निशस्त्र हेड कांस्टेबल सं० 2264,
थाणे ग्रामीण जिला।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

मई, 1984, में भिवण्डी में हुए गंभीर साम्प्रदायिक दंगों की थाणे जिले के कुछ क्षेत्रों में भी प्रतिक्रिया हुई। 23 मई, 1984, को एक समुदाय की लगभग 300 महिलाएं और बच्चे थाणे (ग्रामीण) जिले के किनोवाली पुलिस स्टेशन में शरण लेने आए और सूचित किया कि पड़ौसी गांव के दूसरे समुदाय के लोग किनोवाली के साप्ताहिक बाजार आए थे और बाजार पर हमला कर रहे थे और उनके द्वारा मकानों और दुकानों के नष्ट किये जाने की संभावना थी। यह सूचना प्राप्त होने पर श्री मलहारी कोडानील नेवकर, हेड कांस्टेबल अन्य दो कांस्टेबलों के साथ तुरन्त घटनास्थल पर गए। हेड-कांस्टेबल नेवकर अपने साथ आग्नेय-शस्त्र ले गए। घटनास्थल पहुंचने पर उन्होंने देखा कि भीड़ साप्ताहिक बाजार को लूट रही थी। उन्होंने तुरन्त मोर्चा संभाला और गोली चलाना प्रारम्भ किया। गोलीबारी में एक व्यक्ति मारा गया और भीड़ कई भागों में बट गई और दंगे करती रही। हालांकि पुलिस बल संख्या में बहुत कम था लेकिन उसने भीड़ को नियंत्रित करने के अपने प्रयत्न जारी रखे। दुर्भाग्यवश, पीछे से भीड़ का एक दल आया और हेड कांस्टेबल नेवकर और उनके साथियों पर हमला किया और उन्हें दबोच लिया, हेड कांस्टेबल नेवकर की राईफल छीन ली और घातक हथियारों से घटनास्थल पर उनके प्राण ले लिये। अन्य दो पुलिस कार्मिक जख्मी हो गए। इस बीच कुमुक पहुंच गयी और शेष दो पुलिस कार्मिकों को बचा लिया।

इस प्रकार हेड कांस्टेबल मलहारी के० नेवकर ने अपने जीवन का बलिदान देकर किनोवाली के ग्रामीणों के जीवन और सम्पत्ति की उत्तेजित भीड़ से रक्षा की।

श्री मलहारी के० नेवकर, निशस्त्र हेड कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 23 मई, 1984 से दिया जाएगा।

सं० 121-प्रेज/84—राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री रविन्द्र राजक,
उप-निरीक्षक पुलिस,
भागलपुर,
बिहार।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

23 मार्च, 1981, को श्री रविन्द्र राजक, उप-निरीक्षक, एक हवलदार और एक कांस्टेबल के साथ बस द्वारा भागलपुर से शाहकुंड लौट रहे थे। श्री रविन्द्र राजक सादा कपड़ों में थे और उनके पास उनका सर्विस रिवाल्वर था तथा वे ड्राईवर के पास की अन्य यात्रियों के साथ बैठे थे। कांस्टेबल बस में भीड़ होने के कारण इंजिन के बोनट पर बैठा था और हवलदार पीछे के दरवाजे के निकट खड़ा था। ज्योंही बस लगभग 1830 बजे चम्पत ब्रिज पर पहुंची, एक अपराधी ने ड्राईवर से बस रोकने के लिये कहा। बोनट पर बैठे कांस्टेबल ने इस पर आपत्ति की। तुरन्त ही एक अपराधी ने उस पर एक देशी पिस्तौल से निशाना साधा जबकि दूसरे ने बस रोकने के लिये रिवाल्वर दिखाकर ड्राईवर पर दबाव डाला और यात्रियों को लूटना शुरू कर दिया। श्री राजक इसको बर्दाश्त नहीं कर सके और लूट मार करने से अपराधियों को रोकने के लिये खड़े हो गए। अचानक अपराधियों ने श्री राजक के सर्विस रिवाल्वर को देखा और रिवाल्वर छीनने के विचार से तुरन्त उनकी ओर दौड़े। श्री राजक ने स्थिति की गंभीरता को पूर्णतया जानते हुए और अपने पास सरकारी सम्पत्ति तथा यात्रियों की लूट मार से रक्षा करने के लिए अपराधियों पर गोली चला दी। अपराधियों ने श्री राजक पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी जिसके फलस्वरूप एक गोली एक यात्री को लगी। श्री राजक ने जवाब में गोली चलाई। इस मुठभेड़ में श्री राजक ने एक डाकू को मौत के घाट उतार दिया और उनमें से दो को घायल कर दिया।

श्री रविन्द्र राजक, उप-निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 23 मार्च, 1981 से दिया जाएगा।

सं० 122-प्रेज/84—राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री उदय वीर सिंह राठी,
उप-निरीक्षक संख्या डी/1699,
दिल्ली पुलिस।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

श्री उदय वीर सिंह राठी, उप-निरीक्षक, के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस के केन्द्रीय जिले का विशेष जांच कर्मचारियों का एक दल कुछ समय से कुख्यात अन्तर्राज्यीय अपराधियों के एक गिरोह की गतिविधियों के संबंध में कुछ सुरागों पर कार्रवाई कर रहा था। उनमें से तीन नामतः रवि, सुभाष और भारत भूषण की दिल्ली, जम्मू व कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कई सनसनीखेज मामलों में जरूरत थी। उनके पास परिष्कृत हथियार थे और उन्हें बहुत खंखर समझा जाता था। विशेष कर्मचारी पहले दो बार उनको गिरफ्तार करते करते चूक गए। 12 दिसम्बर, 1983 (शाम के समय) को एक अन्य सुराग के संबंध में कार्रवाई करने के लिए श्री उदय वीर सिंह राठी और कांस्टेबलों समेत उप-निरीक्षकों का स्टाफ अपनी मैटाडोर वाहन में गिरोह के छिपने के स्थान पूर्वी दिल्ली की ओर रवाना हुआ। वहां पहुंचने पर जांच कर्मचारियों और कुख्यात गिरोह के सदस्यों के बीच मुठभेड़ हुई। उप-निरीक्षक उदय वीर सिंह राठी अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए पुलिस वाहन से उतरे और अपनी सर्विस रिवाल्वर से 6 राउंड गोली चलाई। पुलिस कर्मचारियों का कठोर रुख देख कर गिरोह के लोगों ने घटनास्थल से भाग जाने का निर्णय किया। जब वे अपनी कार पीछे की तरफ मोड़ रहे थे तो उप-निरीक्षक राठी खुले स्थान में आ गए और कार को चलने से विफल करने तथा अपराधियों को पकड़ने के प्रयास में चार गोलियां चलाई। बाद में यह मालूम हुआ कि श्री उदय वीर सिंह राठी की एक गोली अपराधियों के गिरोह के एक सदस्य भारत भूषण को लगी जिसकी जख्मों के कारण मृत्यु हो गयी।

इस मुठभेड़ में, श्री उदय वीर सिंह राठी, उप-निरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, अनुकरणीय साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 12 दिसम्बर, 1983, से दिया जाएगा।

सु० नीलकण्ठन, राष्ट्रपति का उप सचिव

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 5 दिसम्बर 1984

आदेश

सं० 14(9)/84-कागज-केन्द्रीय सरकार, कागज (उत्पादन का विनियमन) आदेश, 1978 के खंड 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स टीटागढ़ पेपर मिल्स, कम्पनी लिमिटेड को, जिनके एकक पश्चिमी बंगाल में काकीनाडा और टीटागढ़ में तथा उड़ीसा में चौद्वार में स्थित है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त मिलों को ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों में भारी वित्तीय हानि हुई है, 1 अप्रैल, 1984 को प्रारम्भ होने वाली और 30 सितम्बर, 1984 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए उक्त आदेश के खंड 3 की अपेक्षाओं से छूट देती है।

प्रमोद चन्द्र रावल, निदेशक

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 14 नवम्बर 1984

सं०14/11/83-सी०टी०ई०—जनसाधारण की सूचना के लिए यह सूचित किया जाता है कि प्रो० पी० के० रोहतगी, निदेशक, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भोपाल, को डा०, बी० बी० सुन्दरेसन, निदेशक, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर जिन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय में कुलपति पद प्राप्त करने के लिए 19-10-1984 (अपराह्न) से निदेशक पद का कार्य-भार त्याग दिया है के स्थान पर 20-10-1984 से 19-10-1986 तक के लिए समन्वय परिषद, इंजीनियरी विज्ञान समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। परिणामस्वरूप प्रो० रोहतगी, डा० सुन्दरेसन के स्थान पर उक्त समय के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की शासी सभा और सोसाइटी के सदस्य रहेंगे।

एस० वरदराजन, सचिव
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और महानिदेशक,
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

ऊर्जा मंत्रालय

पेट्रोलियम विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 22 नवम्बर, 1984

आदेश

विषय: पश्चिम बंगाल के समुद्री तट दूर उथले क्षेत्र (11,000 वर्ग किलोमीटर) में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति।

सं०-ओ-12012(20)/83-प्रोड—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आयोग नियम 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तेल भवन, देहरादून (जिसको इसके बाद आयोग कहा जाएगा) को पश्चिम बंगाल के समुद्री तट से दूर 11,000 वर्ग किलोमीटर उथले क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की सम्भावना का पता लगाने हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस को इस आदेश के जारी होने की तिथि अथवा खुदाई प्रारम्भ होने की तिथि इन दोनों में से जो भी पहले हो, से 4 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति देती है जिसके विवरण इसके साथ सलग्न अनुसूची "क" में दिए गए हैं।

लाइसेंस स्वीकृति की निम्नलिखित शर्तें हैं :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाए गए तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जाएगी :

(I) समस्त अशोधित तेल तथा केसिंग हैड कन्डेंसेट पर 61 रुपए प्रति मी० टन या ऐसी दर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(II) प्राकृतिक गैस के संबंध में यह दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी।

(III) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी पेट्रोलियम विभाग, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को दी जाएगी।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त अशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैड कंडेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भजेगा। यह विवरण सलग्न अनुसूची "ख" में दिए गए प्रपत्र में भर कर देना होगा। (ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1958 के नियम II की आवश्यकता के अनुसार आयोग 88,000 रुपए की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।

(च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी सगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उस के किसी अंश जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जाएगी।

1. लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए	4 रुपये
2 लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए	20 रुपये
3 लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए	100 रुपये
4 लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए	200 रुपये
5. लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए	300 रुपए

(छ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 के उपनियम (3) की आवश्यकतानुसार को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतन्त्रता सरकार को दो माह के नोटिस के बाद होगी।

(ज) केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाए गए समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छः महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों अध्ययन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी और/या उसके धरातल पर आग लगने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण, सामान तथा साधन बनाए रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जाएगा।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबन्ध लागू होंगे।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक जैसा दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा।

(ठ) आयोग को खुदाई/अन्वेषी आपरेशनों/सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किए गए बाथी-मिट्रिक, सतही नमूने, धारा और चुम्बकीय आंकड़े सामान्य रूप से रक्षा मंत्रालय/नौसेना मुख्यालय को प्रस्तुत करने चाहिए।

अनुसूची—"क"

संदर्भ : बिन्दू : सागर (द्वीप) लाईट हाऊस

रेखांश : ई 88° 02° 56°

अक्षांश एक 21° 39″ 21″

लाईट हास से बिन्दू "क" दिश क्रोण 277°—00″ दूरी 37·5 किलोमीटर

बिन्दू	रेखांश ई	अक्षांश एन	दिशाक्रोन	दूरी
"ए"	87°—45″	21°—41″	98°—00″	148.3 किलोमीटर
"बी"	89°—00″	21—°31″	180°—00″	106.6 ,,
"सी"	89°—00″	20°—40″	285°—15″	,,
"डी"	88°—18″	20°—51″		145.0 ,,
"ई"	87°—48″	20°—59″		
"एफ"	87°—54″	21°—26″	11°—00″	58.3 ,,
"जी"	87°—28″	21°—36″	293°—00	54.9 ,,
"ए"	87°—45″	21°—41″	72°—00″	35.0 ,,

अनुसूची "ख"

अशोधित तेल, केसिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण के लिए पैट्रोलियम अन्वेषण

क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर

माह तथा वर्ष

क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलो लीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टनों की सं०	केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की सं०	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टनों की सं०	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख—केसिंग हैड कन्डेन्सेट

प्राप्त किये गये कुलमी० टनों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टनों की संख्या	केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टनों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग–प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त धन मीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये धन मीटरों की संख्या	केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये धन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त धन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं, श्री———————————————सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्य निष्ठा से यह घोषणा करता हूं।

हस्ताक्षर———————————

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनके नाम पर ।

पी० के० राजगोपालन, डैस्क अधिकारी

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर 1984

संकल्प

सं० पी०डब्ल्यू०/पी०टी०एच०–3/84—राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड के पुनर्गठन के बारे में नौवहन और परिवहन मंत्रालय के संकल्प सं०पी०डब्ल्यू०बी० पी०टी०एच०–3/84 दिनांक 18 अगस्त, 1984 में आंशिक संशोधन स्वरूप उक्त बोर्ड में इसकी बाकी अवधि में कर्नाटक राज्य का प्रतिनिधि मंत्री, लोक निर्माण और सिंचाई, कर्नाटक सरकार के बदले अब राज्य मंत्री, पत्तन और मत्स्य पालन, कर्नाटक सरकार करेंगे ।

आदेश

आदेश दिया गया है कि इस संकल्प की एक–एक प्रति बोर्ड के सदस्यों राष्ट्रपति के सचिव, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और संबंधित राज्य सरकारों में भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया गया कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

पी० एम० अब्राहम, अपर सचिव

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर 1984

संकल्प

सं० एम–12013/36/83–डब्ल्यू—श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, श्रम विभाग के संकल्प संख्या एम–12013/36/83–डब्ल्यू दिनांक 1 अगस्त, 1984 में आंशिक संशोधन करते हुए, जो भारत के राजपत्र के भाग 1, खंड-4 में दिनांक 25 अगस्त, 1984 को प्रकाशित हुआ था, पैरा 2 में प्रविष्टि (क) के स्थान पर , निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी :—

(क) अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा (पी० एच०) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	अध्यक्ष

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधित पत्रकारों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए ।

कंवर राजेन्द्र सिंह, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 4th December 1984

No. 118-Pres/84.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Delhi Police :—

Names and rank of the officers

Shri Madan Singh,
Constable No. 150/ND.
Shri Surinder Pal Singh,
Constable No. 842/ND.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 2nd January, 1984, at about 12.40 p.m. two employees of the Vysya Bank, E-34, Connaught Place, New Delhi, were returning back from the Reserve Bank of India carrying a brief case each containing cheques and other bank documents. Three young men intercepted them near the Bible House on Parliament Street and snatched away both the brief cases. One of the employees tried to chase them but the miscreants fired at him injuring him on the thigh. The three miscreants then boarded a taxi-scooter and proceeded towards Tolstoy Marg. At the Barakhamba Road crossing, they had to stop due to red-signal. A member of the publicfl who had been following them passed on the information to the police picket located there. When the police intercepted the taxi-scooter, the miscreants jumped out and one of them opened fire as a result Constable Ramji Lal get bullet injury near his ear. The other two miscreants ran away towards Modern School firing in the air to scare away the public. In the meanwhile Constables Surinder Pal singh Madan Singh and Bachhi Singh, who happened to be on beat patrolling duty in the vicinity reached there and chased the miscreants. After some distance, one miscreant pulled out hand-grenade from his bag and threatened the Constables not to chase him failing which he would throw the hand-grenade and kill them. Unmindful of the threats

and the consequences, Constable Madan Singh swiftly attacked the miscreant and struck him twice with his Lathi. The other Constable Surinder Pal Singh couragiously snatched the hand-grenade from the miscreant and over-powered him. Later the miscreant gave out his identity as Sukhdev Singh of Haryana who had committed several crimes including dacoity in Maya Jeweller's Shop in Karol Bagh, Delhi.

Shri Madan Singh, Constable and Shri Surinder Pal Singh, Constable, exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the specia lallowance admissible under rule 5, with effect from the 2nd January, 1984.

No.119-Pres.|84.—The President is pleased to award the Police Medal for galantry to the undermentioned officers of the Nagaland Police :—

Names and rank of the officers

Shri H. Alet Kuki,
Asstt. Sub-Inspector of Police,
Incharge Dillai Check Post, D.E.F.,
Kohima.

Shri Nguni Chakesang,
UB Constable, D.E.F., Kohima.

Shri Keneilhou Angami,
Constable o. 2221,
1st Bn., Nagaland Armed Police.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 22nd|23rd July, 1980, at mid-night, an Ambassador Car stopped at Dillai Check Post. The car did not have any registration number plate and instead an 'On Test' plate was hung on it. Constable Nguni Chakesang, who was on duty, checked the passengers of the car and asked them to produce the registration documents of the car and their licences. He also enquired as to why a car which was 'On Test' should ply on the road at mid-night. Each of the passengers made contradictory statements which made him suspicious and he immediately reported the matter to the Officer-in-Charge, Sub-Inspector H. Alet Kuki. Shri Kuki immediately came to the spot and ordered Shri Chakesang to search the persons. On conducting the search a pistol was found from the possession of one of the passengers. Shri Chakesang tried to snatch away the pistol but the culprit fired at him with the result he fell down. The culprit fired three more rounds to scare away the police personnel; and then all the six culprits fled away from the scence leaving the car. While three of them ran towards Assam, the other three ran towards Dimapur Town. Shri Kuki immediately arranged for evacuation of Shri Nguni Chakesang to Dimapur Civil Hospital and reported the incident to D. C. Dimapur Police Station. All the check posts of Dimapur town were alerted to prevent escape of the culprits. The Commandant of 1st Bn., Nagaland Armed Police was requested to reinforce the Check-posts. Shri Kuki laid an ambush with the troops detailed by Nagaland Armed Police, 1st Battalion. On the 23rd July, 1980, at about 0500 hrs., a Manipuri truck which was carying the three culprits, was detected at ChumukademaCheck-post. Shri Kuki recognised them and ordered them to come down. On this, the culprits jumped from the truck and started firing at the Police party and tried to escape. They were chased by Shri Kuki and NAP ambush party. After a hot pursuit Shri Kuki ordered Shri Keneilhou Angami, Constable, NAP, to shoot at the culprits with the result one criminal was shot dead. Another criminal was apprehended alive and the third one captured after bullet injury, who later succumed to his injury in the Dimapur Civil Hospital. Later all the three culprits were identified to be the members of the extremist PREPAK Organisation of Manipur

In this encounter Shri H. Alet Kuki, Assistant Sub-Inspector, Shri Nguni Chakesang, Constable and Shri Keneilhou Angami, Constable, exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 23rd July, 1980.

No. 120-Pres|84.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Maharashtra Police :—

Names and rank of the officers

Shri Malhari K. Nevkar,
Unarmed Head Constable No. 2264,
Thane Rurai District.

(Posthumous)

Statement of services for which the decoration has been awarded

Serious communal riots which took place at Bhiwandi in the month of May, 1984, had also repercussions in some areas of Thane (Rural) District. On the 23rd May, 1984 about 300 ladies and children belonging to a community came to take shelter at Kinowali Police Station in Thane (Rural) District and reported that people belonging to other community from neighbouring villages had come to weekly Bazar of Kinowali and were attacking the bazar and were likely to destroy houses and shops. On receipt of the information Shri Malhari Kondaji Nevkar, Head Constable, alongwith two other Head Constables rushed to the spot. Head Constable Nevkar carried fire arms. On reaching the spot he noticed that a crowd was ransacking the Weekly Bazar. He immediately took strategic position and opened fire. In the firing one person was killed and the crowd split into groups and continued rioting. Even though the police force was out-numbered, they continued their efforts to control the mob. But unfortunately, a section of the crowd came from behind and attacked Head Constable Nevkar and his colleagues, over-powered them, snatched the rifle of Head Constable Nevkar and killed him on the spot with deadly weapons. The other two policemen received injuries. In the meantime, reinforcement reached and saved the life of the remaining two policemen Thus Head Constable Nevkar protected the lives and property of the villagers of Kinowali from the mob at the cost of his life.

Shri Malhari K. Nevkar, Unarmed Head Constable, exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Polce Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 23rd May, 1984.

No.121-Pres|84.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Bihar Police :—

Name and rank of the officer

Shri Ravindra Rajak.
Sub-Inspector of Police,
Bhagalpur,
BIHAR.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 23rd March, 1981, Shri Ravindra Rajak, Sub-Inspector, was returning from Bhagalpur to Shahkund by bus alongwith a Havildar and a Constable. Shri Ravindra Rajak, who was in civil dress and armed with his service revolver, was sitting with two other passangers by the side of the driver. The Constable was sitting on the bonnet of the engine due to rush in the bus and the Havildar was standing near the rear gate. As soon as the bus reached Chandan Bridge at about 18.30 hours one of the criminals asked the driver to stop the bus. The Constable sitting on the bonet objected to this. Immediately one of the criminals pointed a country made pistol at him while another compelled the driver to stop the bus at the point of revolver and started looting the passengers. Shri Rajak could not tolerate this and stood up to prevent the criminals from committing robbery. Suddenly the criminals noticed the service revolver of Shri Rajak and rushed towards him with a view to snatch the revolver Shri Rajak fully realised the gravity

of the situation and in order to save the Government property owned by him and also save the passengers being looted fired at the criminals. The criminals also started shooting indiscriminately at Shri Rajak with the result one of the bullets hit a passenger. Shri Rajak replied the fire During this encounter Shri Rajak killed one dacoit and injured two of them. Shri Ravindra Rajak, Sub-Inspector, exhibited conspicuous gallantry, exemplary courses and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 23rd March, 1981.

No.122-Pres|84.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Delhi Police :—

Name and rank of the officer

Shri Udai Vir Singh Rathee,
Sub-Inspector No. D|1699,
Delhi Police.

Statement of services for which the decoration has been awarded

A team of Central District Special Investigation Staff of Delhi Police, headed by Shri Udai Vir Singh Rathee, Sub-Inspector had for some time been pursuing some leads regarding movements of a gang of notorious inter-State criminals. Three of them, namely Ravi, Subhash and Bharat Bhushan were wanted in several sensational cases of Delhi, J&K, Haryana, Chandigarh and Uttar Pradesh. They carriedsophisticated weapons and are known to be desperate. The Special Staff had narrowly missed nabbing them on the previous occasions. Pursuing another lead on 12th December, 1983 the staff comprising of Sub-Inspectors including Shri Udai Vir Singh Rathee and Constables were headed towards the reported hide-out of the gang in Matador Van for East Delhi. On reaching there an encounter between the Investigating Staff and the members of the notorious gang took place. Unmindful of his personal safety, Sub-Inspector Udai Vir Singh Rathee alighted from the Police Van and fired 6 rounds from his service revolver. On seeing the determined attitude of the policemen, the gangsters decided to escape from the spot. While they were reversing the Car, Sub-Inspector Rathee came out in the open and fired four more shots into the Car in an attempt to immobilise it and apprehend the criminals. Later it was found that one of the bullets fired by Shri Udai Vir Singh Rathee hit Bharat Bhushan, a member of the notorious gang who succumbed to his injury.

In this encounter Shri Udai Vir Shingh Rathee, Sub-Inspector exhibited conspicuous gallantry, exemplary courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 12th December, 1983.

S. NILAKANTAN
Dy. Secy. to the President of India

MINISTRY OF INDUSTRY

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 5th December 1984

ORDER

No.14(9)|84-Paper.—In exercise of the powers conferred by clause 9 of the Paper (Regulation of Production) Order, 1978, the Central Government hereby exempts for the period commencing on the 1st April, 1984 and ending on the 30th September, 1984 M|s. Titaghur Paper Mills Co. Ltd., having units at Kankinara and Titaghur in West Bengal and Chowdhwar in Orissa from the requirements of Clause 3 of the said order having regard to the fact that the said mills have suffered heavy financial losses in the immediately preceding three years.

P. C. RAWAL, Director

DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY

New Delhi-1, the 14th November 1984

No. 14|11|83-CTE.—It is notified for general information that Prof. P. K. Rohatgi, Director Regional Research Laboratory, Bhopal has been appointed as Chairman, Coordination Council, Engineering Sciences Group with effect from 20-10-84 to 19-10-1986 in place of Dr. B. B. Sundaresan, Director, National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur, who has relinquished the charge of the post of Director with effect from 19-10-1984 (A.N.) to take up appointment as Vice-Chancellor, University of Madras, Madras. Consequently, Prof. Rohatgi will be a Member of the Governing Body and the Society of Council of Scientific & Industrial Research for the said duration in place of Dr. Sundaresan.

S. VARADARAJAN
Secy. Department of Science & Technology and
Director General, Scientific & Industrial Research

MINISTRY OF ENERGY

(DEPARTMENT OF PETROLEUM)

New Delhi, the 2nd November 1983

SUBJECT : *Grant of Petroleum Exploration Licence to ONGC in the Shallow Marine area off the coast of West Bengal (11,000 sq. kms.)*

ORDER

No. O-12012|20|83-Prod. :—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to Oil & Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (herein after referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to prospect for petroleum for four years from the issue of this order or the date of drilling whichever is earlier for Shallow Marines area off the coast of West Bengal measuring 11,000 sq. kms. (offshore) the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The Grant of licence is subject to the terms and conditions mentioned below :

(a) The Exploration licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged.

(i) Rs. 61|- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Department of Petroleum, New Delhi.

(d) The Commission shall, within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing head condensate and natural gas obtained during the preceeding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 88,000|- as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square Kilometre or parth thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4|- for the first year of the licence;
(ii) Rs. 20|- for the second year of the licence;
(iii) Rs. 100|- for the third year of the licence;
(iv) Rs. 200|- for the fourth year of the licence;
(v) Rs. 300|- for the first and second year of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two

months' notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules; 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to the Central Government confidentially a full report o fthe geologcial data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit, without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and|or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and|or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

(l) The Commission should render, Bathymetric, bottom samples, Current and magnatic data collected during the drilling|exploration operations|survey, to Ministry of Defence|Naval Headquarters in the usual manner.

SCHEDULE 'A'

Refercdce : Point : Sagar(Island) Light house
Longitude : E 88° 02′ 56″
!Eatltude : N 21° 39′ 21″

Point 'A' from Light house : Bearing 277°—00′ Dist. 37.5 kms.

Points	LONGITUDE (E)	LATITUDE (N)	Bearing	Distt
A.	87°—45′	21°—41′		
B.	89°—00′	21°—31′	98°—00′	148·3 kms
C.	89°—00′	20°—40′	180°—00′	106.6 kms
D.	88°—18′	20°—51′	285°—15′	145.0 kms.
E.	87°—48′	20.59′		
F	87°—54′	21°—26′	11°—00′	58.3 Rms.
G.	87°—28′	21°—36′	293°—00′	54.9 kms
H.	87°—45′	21°—41′	72°—00′	35·0 kms.

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof.

Petroleum Exploration Licence for

Area

Month and Year

A. Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained.	No. of Metric Tonnes unavoidably lass or returned to natnral reservoir	No. of Matric Tonnes used sor purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Metric tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B. Casing head condensate

Total number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoldably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Govt	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

C. Natural Gas

Total number of cubic metres obtained	Number of cubic metres unavoldably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri———————————do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

By order in the name of the President of India. (Signature)

P. K. RAJAGOPALAN
Desk Officer

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT
(PORTS WING)

New Delhi, the 16th November 1984

RESOLUTION

No. PW|PTH-3|84.—In partial modification of the Ministry of Shipping and Transport Resolution No. PW|PTH|3-84 dated the 18th August, 1984 regarding reconstitution of National Harbour Board. Minister of State for Ports and Fisheries, Government of Karnataka, will now represent Karnataka State in place of Minister for Public Works and Irrigation Government of Karnataka, for the remaining period of the term.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the members of the Board, Secretary to the President, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Planning Commission, Ministries|Departments of the Government of India and the State Governments concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. M. ABRAHAM, Addl. Secy.

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION
(DEPARTMENT OF LABOUR)

New Delhi, the 17th November 1984

RESOLUTION

No. M.12013|36|83-W.V.—In partial modification of Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour Resolution No. M. 12013|36|83-WV dated 1st August, 1984 published in Part I Section 1 of the Gazette of India dated 25th August, 1984, for the entry (a) appearing in part 2. following shall be substituted :—

(a) Additional Director General, Health Services (PH) Directorate General of Health Services.	Chairman

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

KANWAR RAJINDER SINGH, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1984